

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 54/2018

1. अमय चौधरी पुत्र सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दयावती पत्नी सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. विजय लक्ष्मी पत्नी भजन लाल जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। रेस्पोंडेन्ट्स

(2) अपील संख्या 64/2018

1. अमय चौधरी पुत्र सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दयावती पत्नी सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. विजय लक्ष्मी पत्नी भजन लाल जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर दिनांक 11.04.2018 व दिनांक 01.06.2018

उपस्थिति:-

श्री तेजा सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)



श्री विरेन्द्र सिहाग, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 09.07.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 का पेश कर कथन किया कि चक 1 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, 18 से 25 की 3.64 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 41 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 13 से 18, 23 से 25 की 3.72 हैक्टेयर, मुरब्बर नम्बर 64/19 में 0.05 हैक्टेयर खाल कुल 11.11 हैक्टेयर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता में दर्ज है। विवादित भूमि वादीगण के दादा बालुराम की पुस्तनी सम्पत्ति थी। बालुराम की ही भूमि वादिया के ससुर व वादी संख्या 1 के पिता, वादी संख्या 2 के ससुर को प्राप्त हुई। भजन लाल की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी के नाम से भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से अधिकार है। वादिया के ससुर भजन लाल था उससे 7.406 हैक्टेयर भूमि वादिया की सास प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई। भजन लाल की मृत्यु के बाद उसके लड़के सिद्ध कुमार की भी मृत्यु हो गई जिसके दो वारिस वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 है। इस प्रकार इसमें जो अकेली उसकी पत्नी के नाम से जो भूमि आई है उसमें भी वादिया का हक व हिरसा बनता है। वादिया के पति के नाम से कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र वादी संख्या 1 व पत्नी वादी संख्या 2 हकदार थे। इन दोनों के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में भूमि आनी चाहिए थी। सिद्ध कुमार की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल तीनों के नाम से हो गया। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से जो इन्तकाल दर्ज हुआ वह शून्य है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अधिकारों की घोषणा करवाकर चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 में अपने नाम से डिक्री करवाने के अधिकारी है।



  
रामकृष्ण अपीलार्थी  
श्रीगंगानगर (राज.)


प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि को आगे बेचने की फिराक में है, जबकि विवादित भूमि संयुक्त खाले की है जिसमें वादीगण का जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर वाद के अनुतोष की मद संख्या क से ग अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादिया संख्या 2 का प्रतिवादी के पुत्र सिद्ध कुमार से तलाक हो चुका है इसलिए वह परिवार की सदस्य नहीं रही। विवादित भूमि मजन लाल की स्वयं की भूमि है। वादिया संख्या 2 इस भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए विवादित भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्ता बराबर घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का जवाब वादीगण ने पेश कर काउंटर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 11.04.18 को वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 2 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर विवादित भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित कर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध अपीलान्त ने अपील संख्या 54/18 पेश की। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2018 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरुद्ध अपील संख्या 64/2018 पेश की गई।

चूंकि दोनों ही अपीलों में पक्षकार एक होने से, विवादित भूमि एक होने से दोनों पक्षों द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

  
रजिस्ट्रार अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)



विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमां में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार बनता है। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया जिसका जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश किया गया। साथ ही काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के विरुद्ध करने में कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 2 व 3 अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की है। अपीलान्ट संख्या 2 को अधिकारी नहीं माना है उस हद तक चुनौती दी जा रही है। अपीलान्ट संख्या 2 भी अपीलान्ट संख्या 1 की तरह विभाजन करवाने की अधिकारी है। जब अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित की है तो तनकी संख्या 1, 4, 5 व 6 का निर्णय पत्रावली पर आई साक्ष्य के विरुद्ध किया है जो उचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील पेश कर दी थी एवं रिकार्ड तलब करने के आदेश दिये गये थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री दिनांक 01.06.2018 को जारी कर दी जो विधि विरुद्ध है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए वादीगण/अपीलान्ट का दावा वाद पत्र के अनुतोष के अनुसार डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 2 का सिद्ध कुमार से तलाक हो चुका है इसलिए वह भूमि पाने की अधिकारी नहीं है। सिद्ध कुमार के पुत्र अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के नाम से अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री की है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

  
राजेश्वरी अपील प्राधिकारी  
श्रीकृष्णनगर (राज.)



अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मजन लाल की थी जो अपीलान्त संख्या 1 का दादा व अपीलान्त संख्या 2 का ससुर तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 का पति था। मजन लाल एवं उसके पुत्र सिद्ध कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। अपीलान्त ने अपनी अपील व वाद पत्र में चक 1 एच बड़ा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्ता बराबर घोषित करने का अनुतोष चाहा है एवं चक 2 एच बड़ा में वादीगण के पिता व पति के नाम से जो भूमि थी उसमें प्रतिवादी संख्या 2 के नाम को नल एण्ड डीयड होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित कर इन्तकाल निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हक व हिस्सा घोषित किया है उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की एवं तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी की। उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से दोनों ही अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(प्रेमशम परमार)  
संजित अपील प्रतिकारक  
(अधीनस्थ न्यायालय)

